piggyback with us. The PSLV launch itself cost about Rs.60 crores. The cost incurred towards the launch of this satellite on the PSLV is a fractional amount of the cost charged per satellite from the customer.

Ware Houses

*523 SHRI K. RAMA MOHANA RAO: Will the Minister of CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state:

(a) the number of Ware Houses being operated by the Central Ware Housing Corporation in the country as on the 31st March, 2002 with total storage capacity thereof;

(b) the number of Ware Houses in Andhra Pradesh;

(c) the new storage capacity added last year in the country and in Andhra Pradesh; and

(d) what are Government's plans in respect of the proposal mentioned in part (c) for the current year?

THE MINISTER OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION (SHRI SHANTA KUMAR): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a) As on 31.3.2002, 475 warehouses were being managed/operated by the Central Warehousing Corporation(CWC) in the country. The total storage capacity of these warehouses was 89.00 lakh MTs.

(b) The number of warehouses being managed/operated by CWC in Andhra Pradesh as on 31.3.2002 was 49.

(c) The overall addition to the storage capacity of CWC during the year 2001-02 was 3.24 lakh MTs out of which 0.25 lakh MT capacity was added in Andhra Pradesh.

(d) During the year 2002-03, CWC has plans to construct additional storage capacity of 3.25 lakh MTs in the country out of which 0.27 lakh MT capacity is proposed to be constructed in Andhra Pradesh.

SHRI K. RAMA MOHANA RAO: Mr. Chairman, Sir, the Andhra Pradesh State Warehousing Corporation has initiated a credible programme of adding 15 lakh tonnes of storage space. For this purpose, the authorised share capital needs to be enhanced to Rs. 15 crores. Currently, the share capital contributed by the State of Andhra Pradesh and the Central Warehousing Corporation stands at Rs.76 crores. The Government of Andhra Pradesh has requested the CWC for enhancement *vide* its letter dated 26th November 2001, and the Minister *vide* his letter dated 13th November 2001, sought some clarifications. These clarifications have been submitted by the Government of Andhra Pradesh, but so far nothing has been done in this regard. Hence, I request the hon. Minister to assure us that the authorised share capital would be enhanced to Rs. 15 crores.

Part (b) of my supplementary is: The Finance Minister in his Budget has removed section 10(29) of the Income Tax Act and imposed 40 per cent tax on warehousing income, including surcharge. One the one hand, you want to encourage the private people in this sector and, on the other, you are imposing 40 per cent tax which is quite unreasonable and ultimately the burden will fall on the farmers. So, is the Ministry pursuing this matter with the Finance Ministry to remove this tax?

श्री शांता कुमार: सभापति जी, आन्ध्र प्रदेश के लिए अथोराइज्ड शेयर केपिटल बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार के विधाराधीन है। उसमें कुछ सूचना प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार को लिया गया था। राज्य सरकार की ओर से उस संबंध में जो जानकारी आई है, उसके आधार पर अतिशीघ्र निर्णय ले लिया जाएगा।

SHRI K. RAMA MOHANA RAO: Sir, the Ministry has identified Srikakulam, Samalkot, Rajhamundry, Eluru, Jaggampeta, Huzur Nagar and Jammikunta, with a storage capacity of 70,000 MTs for creaton of godowns on Built-Own-operate basis with the help of the private sector. I would like to know from the hon. Minister as to what happened to that proposal and by when the Ministry is going to complete the construction of godowns because the State of Andhra Pradesh is in dire need of warehouses for storing its huge quantity of foodgrains.

Part (b) of my question is: Whether the Ministry is thinking of hiring private warehouses for storage of foodgrains in the State of Andhra Pradesh. If so, the details thereof.

श्री शांता कुमार: सभापति जी, आंध्र प्रदेश में एफ०सी०आई० की 29.13 लाख टन की कैपेसिटी है, सी०डब्ल्यू०सी० के पास 12.60 लाख टन की कैपेसिटी है, एस०डब्ल्यू०सी० की 8.86 लाख टन की कैपेसिटी है और टोटल 50 लाख टन कैपेसिटी आंध्र प्रदेश में हमारे पास इस समय है। हमने 7 ईयर गारंटी स्कीम के अंतर्गत जो प्रदेशों को नई कैपेसिटी क्रिएट करने का अधिकार दिया है, उसमें आंध्र प्रदेश को 21.22 लाख टन की अतिरिक्त कैपेसिटी क्रिएट करने का अधिकार दे दिया गया है। इन दोनों बातों के बाद पर्याप्त कैपेसिटी आंध्र प्रदेश में हो जाएगी। जहां तक 7 ईयर गारंटी में करने का है, यह तो आंध्र प्रदेश सरकार को ही करना है, वे बहुत जल्दी कर रहे हैं, ज्यों ही वे कम्प्लीट कर लेंगे, उनके पास लगभग 22 लाख टन अतिरिक्त रखने की कैपेसिटी हो जाएगी।

DR. DASARI NARAYANA RAO: Sir, the recent decision of the Cabinet to free foodgrains from the control of the Government is not enough to help the farmers. The immediate step to be taken by the Government is to enact the Warehouses Receipt Act. If this Act comes into existence, the farmer need not be in a hurry to go to a *mandi* or to the FCI for distress sale. He can straightaway approach a private warehouse owner and deposit his stocks and can get 70% of the cost of his foodgrains immediately, and he can wait for a good reasonable price for his foodgrains. Now, my specific question to the hon. Minister is: Is the Ministry having any such proposal? If such proposal is before the Government, when is the Minister going to bring that legislation before Parliament.

श्री शांता कुमार: सभापति जी, सरकार ने जो निर्णय किया है, वह यह किया है कि फूड ग्रेन और अन्य सात वस्तुओं की मूवमेंट पर जो विभिन्न प्रतिबंध राज्य सरकारों ने लगाए थे, जिनको आवश्यक नहीं समझा गया था और चीफ मिनिस्टर्स की स्टेंडिंग कमेटी में उस पर कंसैंसस बना था कि उन पर लाइसैंस अनुमति, मूवमेंट पर जिस प्रकार के भी प्रतिबंध हैं, वे समाप्त किए जाएं। वे सारे प्रतिबंध चीफ मिनिस्टर्स की स्टेंडिंग कमेटी की सहमति से समाप्त किए गए हैं।

जहां तक इनके दूसरे सुझाव का संबंध है, ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

SHRIMATI VANGA GEETHA: In order to modernize the system of handling, storage and transportation of foodgrains which come to the Central Pool, we have to have some mechanism. So, I would like to know from the hon. Minister whether three is any proposal before the Ministry for setting up regional warehouse hubs in the country.

Part (b) of my supplementary is: In Andhra Pradesh, we have given infrastructure status to bulk handling, storage and transportation of foodgrains. So, I would like to know from the hon. Minister what incentives the Ministry is giving to the people who want to set up warehouses in the country, and would the Government allow the people from the private sector to construct warehouses on Build-Operate-Own system.

श्री शांता कुमार: सभापति जी, देश में कैपेसिटी बढ़ाने की दृष्टि से सरकार ने एक नेशनल स्टोरेज पॉलिसी बनाई है, उस पर काम हो रहा है। बल्क हैंडलिंग के लिए 'राइट्स' की तरफ से एक्सप्रेशन आफ इंटेशन किया गया है, उस पर बहुत जल्दी कार्रवाई होगी और जो कन्वेंशनल गोदाम हैं, उनके लिए 73 लोकेशन्स पूरे देश में आइडेंटिफाई की गई थीं। लोकेशन्स आइडेंटिफाई करने के बाद वहां से प्रस्ताव सरकार के पास प्राप्त हुए हैं। उसके बाद आगे की कार्रवाई करके हम देश के अंदर 5.72 लाख टन की कैपेसिटी तो कन्वेंशनल गोदामों की विभिन्न स्कीमों के अंदर निर्माण करेंगे, बिल्ड एंड ओपरेट स्कीम के अंदर ताकि कुल मिलकर उसमें प्राइवेट पार्टिसिपेशन का ऐलिमेंट हो जाए। बल्क हैंडलिंग के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि बल्क हैंडलिंग के लगभग 240 टेंडर गए हैं, 6 मई उसकी अंतिम तिथि है। लेटेस्ट टैक्नोलॉजी के आधार पर बल्क हैंडलिंग में भी हम प्राइवेट पार्टिसिपेशन को लाने का प्रयास कर रहे हैं।

SHRI JANARDHANA POOJARY: ...storage of foodgrains are exempted from income-tax under section 10, clause 29. Sir, the Government is at pains to emphasise that there should be additional capacity for the storage of foodgrains in the country. But, unfortunately this facility has been taken away. Will it not deter the additional capacity to be taken up? As per the assessment done, what is the total capacity of the storage that is required? Also, what would be the additional capacity that is required in Karnataka for the storage of foodgrains?

श्री शांता कुमार: सभापति जी, इस समय हमारे पास अन्न रखने की जो कैपेसिटी है वह इस प्रकार है—एफ०सी०आई०—358 लाख टन, सी०डब्ल्यू०सी०—89 लाख टन, एस०

डब्ल्यू०सी०—162 लाख टन, स्टेट एजेंसीज़—211 लाख टन। इस तरह कुल मिलाकर हमारे पास 820 लाख टन की कैपेसिटी है जिसमें से एफ०सी०आई० और एस० डब्ल्यू०सी० की कैपेसिटी तो केवल खाद्यान्न को रखने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। पिछले साल सरकार ने यह निर्णय किया था चूंकि हमारे पास खाद्यान्न अधिक है, इसलिए हमें इसे एक्सपोर्ट करना चाहिए। पिछले साल हमने 80 लाख टन एक्सपोर्ट करने का निर्णय किया था। मुझे सदन को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने 80 लाख टन के बजाय 86 लाख टन फूडग्रेन्स का एक्सपोर्ट किया है। महोदय, आज 20 देशों में हमारे यहां का व्हीट जा रहा है और 25 देशों में चावल जा रहा है। इस तरह लगभग 4,000 करोड़ रुपए का फारन-एक्सचेंज इस देश के किसानों ने जमा करके दिया है। यह जो हमारा 86 लाख टन का एक्सपोर्ट हुआ है, इससे नयी कैपेसिटी अपने आप क्रियेट हो गई है। इसलिए आज हम जो प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, वह बहुत अच्छा हो रहा है और कैपेसिटी की कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा हमने जो 7 ईयर गारंटी के तहत लगभग 90 लाख टन की नयी कैपेसिटी क्रियेट करने का अधिकार राज्यों को दिया है, उससे भी कैपेसिटी क्रियेट हो रही है। इसलिए कैपेसिटी की कोई समस्या नहीं है। आपने कर्नाटक के संबंध में जो सवाल पूछा है, मैं उसकी सूचना अलग से आपको भिजवा दूंगा।

श्रीमती सरोज दुबे: सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि इस समय देश में सबसे बड़ी समस्या अन्न के भंडारण की है। भंडार में पड़ा हुआ अन्न सड़ रहा है और जो ताजी फसल आती है, वह बाहर पड़ी रहती है। इस संदर्भ में भारतीय खाद्य निगम को सरकार ने 30 लाख टन चावल निर्यात करने की अनुमति दी थी लेकिन चीन सहित दक्षिण एशिया के कई प्रतिस्पर्धी देश इस प्रतिस्पर्धा में आ गए। इसका परिणाम यह हुआ कि हमारा सारा चावल निर्यात नहीं हो पाया। महोदय, बासमती चावल के अलावा हमारे चावल की अन्य किस्मों की गुणवत्ता इतनी खराब है कि वह विदेशी प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाता। इधर चावल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में भी भारी कमी आई है। इसलिए हम जो निर्यात कर रहे हैं, वह बहुत कम कीमत पर कर रहे हैं और हमारे देश के उपभोक्ता ज्यादा कीमत अदा कर रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि जब हम चावल के निर्यात में पूरी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपने भंडारों को किस प्रकार से खाली करेंगे? भारत जैसे देश में करीब एक-तिहाई लोग भुखमरी के शिकार हैं और करीब 20 करोड़, 40 लाख लोग कुपोषण से पीड़ित हैं, ऐसी हालत में देश के लोगों को भूखे पेट रखकर निर्यात करना, गोदामों को खाली करने की सही नीति नहीं हो सकती है। मैं आपसे जानना चाहती हूं कि क्या आप सूखाग्रस्त क्षेत्रों में काम के बदले अनाज योजना चलाना चाहेंगे या जो आदिवासी बहुल और पिछड़े गांव हैं, उनको खाद्य सुरक्षा नियम के अंतर्गत लाकर अधिक से अधिक अन्न का वितरण उचित मूल्य पर करवाकर गरीबों को भोजन दिलाने का काम करेंगे?

श्री शांता कुमार: सभापति जी, हमारे पास अन्न के भंडार भरे पड़े हैं और उस अन्न का सबसे पहला उपयोग हमने देश के गरीब आदमी के लिए किया है। महोदय, हमारे देश में गरीबी की रेखा के नीचे जो 36 करोड़ लोग रहते हैं, उनको पहले 10 किलो अनाज प्रति परिवार दिया जाता था, उसे हमने 10 किलो से बढ़ाकर 20 किलो किया, फिर 20 किलो से बढ़ाकर इसे हमने 25 किलो किया, अब इसे 25 किलो से बढ़ाकर हमने 35 किलो प्रति परिवार कर दिया है। इसके अलावा देश में जो 5 करोड़ सबसे गरीब लोग रहते हैं, उनके लिए अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत हम 35 किलो अनाज, 2 रुपए प्रति किलो व्हीट और 3 रुपए प्रति किलो चावल के हिसाब से देंगे। यह सूखाग्रस्त रदेशों के लिए शुरू किया है। मैं कहता हूं कि काफी अधिक अन्न प्रदेशों को दिया गया है। आपने कहा है कि समस्या भंडारण की है। सभापति जी, समस्या भंडारण की नहीं है। हमारे यहां सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम प्रदेशों को जितना खाद्यान्न गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए अलोकेट कर रहे हैं, उतना ऑफ-टेक नहीं हो रहा है, उतना उठाया नहीं जा रहा है, उतना गांवों में राशन की दुकानों पर पहुंच नहीं रहा है। हम बार-बार प्रदेशों से कह रहे हैं कि उसको जल्दी पहुंचाने की कोशिश करें। ...(व्यवधान)...

श्रीमती सरोज दुबे: बिहार में इन्होंने जो अन्न भेजा है उसको कोई भी उठा नहीं रहा है।

MR. CHAIRMAN: Question Hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTIONS

Revival of sick SSI units

†*524. SHRI KAPIL SIBAL:
SHRI RAJIV RANJAN SINGH 'LALAN':

Will the Minister of SMALL SCALE INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether Government have explored the possibility of new capital investments in the existing sick units in the small scale industries sector with a view to revive them;

(b) if so, the additional capital required for revival of the sick industrial units by March, 2001; and

---

†Original notice of the Question was received in Hindi.